न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 24 /2020

1. जगजीवन सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एफ एफ तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--अप्रार्थी--

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए</u>

--निर्णय--

दिनांक २८/०२/२०२०

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 4 एफ एफ के मुरब्बा नबर 37 के किला नबर 1 ता 10 11 /1 12/1 13/1 14/1 15/1 में 3.038 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड मे बारानी दर्ज है। परन्तु सी सी रिकार्ड मे उक्त भूमि नहरी दर्ज है। पानी की पर्ची व सीसी रिकॉर्ड के अनुसार मौका पर उक्त रकबा में पानी भी लग रहा है उक्त रकवा को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज करने की कृपा करे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ चक 4 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 58/55 के मु.न. 37 की जमाबन्दी प्रस्तुत की एवं सीसीए स्टेटमेन्ट की प्रति, पर्ची बारावन्दी (पानी की पर्ची), प्रति व अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम बडोपल का प्रमाण पत्र पेश किया।

रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त होने पर प्रकरण आरटीए की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार चक 4 एफ एफ की जमाबन्दी 2072 ता 75 के खाता संख्या 58 में किला न. 1 ता 10, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1 की कुल 3.038 हैक्टर बारानी भूमि बख्तावर सिंह वगैरा के नाम खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। जमाबन्दी 1990 के अनुसार चक 4 एफ एफ के मु.न. 37 के किला न. 1 ता 10, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1 की कुल 3.038 हैक्टर बारानी भूमि सुन्दर सिंह वगैरा के नाम दर्ज थी। इससे स्पष्ट है कि उक्त मु.न. 37 का उक्त रकबा राज. उपनिवेशन अधिनियम (गंगनहर के क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1956 के तहत आवटन नहीं है। अतः राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प-7 (7) उप-/ 2005 / जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार मौरूसी खातेदारो से अन्तर राशि वसूल योग्य नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में राजस्व विभाग की अनकमाण्ड से कमाण्ड हुए रकबे की अन्तरराशि जमा होने से शेष नहीं है। अतः उक्त रकबा को बारानी से नहरी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित है।

एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा चक 4 एफ एफ के मुरब्बा नबर 37 के किला नबर 1 ता 10 11 /1 12/1 13/1 14/1, 15/1 में 3.038 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड मे बारानी दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के क्रमांक 646 दिनांक 08.11.2019 के अनुसार उक्त रकबा में राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प-7 (7) उप-/ 2005 / जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार मौरूसी खातेदारो से

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned with CamScanner

अन्तर राशि वसूल योग्य नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में राजस्व विभाग की अनकमाण्ड से कमाण्ड हुए रकबे की अन्तरराशि जमा होने से शेष नहीं है। अतः उक्त रकबा को बारानी से नहरी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित है। पटवारी हलका बडोपल की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबा पर मौके नहर से पानी लगता है। अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम बडोपल के अनुसार चक 4 एफ एफ के मु.न. 37 के 12 बीघा की पानी की बारी स्थाई रूप से चल रही है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 58/55 के मु.न. 37 के किला न. 1 ता 5 प्रत्येक 0.228 हैक्टर, किला न. 6 ता 10 सालम-सालम, किला न. 11 /1 की 0.126 हैक्टर, 12/1 की 0.127 हैक्टर, 13/1 की 0.126 हैक्टर 14/1 की 0.127 हैक्टर, 15/1 की 0.127 हैक्टर कुल 3.038 हैक्टर बारानी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक २४/०२/२०२० को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned with CamScanner